न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर.ए.एस.)

वादपत्र संख्या –183/2015

उनवान

1. श्यामलाल पुत्र भगवानसहाय
2. कमलेश पुत्र भगवानसहाय
3. सुभाष पुत्र भगवानसहाय
4. अनील उर्फ लोकेश पुत्र भगवानसहाय
5. प्रेमदेवी पत्नी भगवानसहाय

समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी गांगदवाडी तहसील सिकराय जिला दौसा।

बनाम

वादीगण

बनाम

1. सुखराम उर्फ रामसुख पुत्र स्व0 रतन
2. विष्णु पुत्र स्व0 रतन
3. विनोद पुत्र स्व0 रतन
4. किस्तूरी पत्नी रतन
5. मुरारी पुत्र कन्हैयालाल
6. श्यामलाल उर्फ धनश्याम
7. सोना बेवा कन्हैयालाल
8. रामचरण पुत्र कन्हैयालाल
9. किशोरीलाल पुत्र मांगीलाल
10. कजोड पुत्र कौरया
11. जगदीश पुत्र कौरया

समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी गांगदवाडी तहसील सिकराय जिला दौसा।

प्रतिवादीगण

दावा स्थायी निषे0 एवं अधिघोषणा बाबत

वादीगण की ओर से श्री महावीर प्रसाद जैमन एड0

प्रतिवादीगण की ओर से श्री बालकृष्ण गौड एड0

निर्णय **निर्णय दिनांक** 11/11/25

पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 एक ही परिवार के सदस्य है जो ग्राम गांगदवाडी के रहने वाले है। वादीगण के पिता एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 के पिता व 9 द्वारा उनकी खातेदारी भूमि के लगते हुये प्रतिवादी संख्या 10, 11 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 625 रकबा 11 बिस्वा वाके रामा गांगदवाडी में स्थित है उक्त भूमि को रहवास हेतु प्रतिवादी संख्या 10, 11 द्वारा उनके हिस्से 1/2 कि खातेदारी भूमि अरसा करीब 50 वर्ष पूर्व मकान व बाडा निर्माण हेतु ली थी तथा इसके बदले वादीगण के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 के द्वारा उनकी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 640 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा भूमि में से 1/8 का विक्रय पत्र तहरीर करवा दिया था जिसकी जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या 10, 11 के नाम दर्ज है। लेकिन प्रतिवादी संख्या 10, 11 द्वारा खसरा संख्या 625 मं से 1/2 का रजिस्टरी नहीं करवाने के कारण आज भी उक्त भूमि उनके नाम चली आ रही है लेकिन मौके पर उनका कब्जा नहीं है। उक्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 के मकानात बने है। अब प्रतिवादी संख्या 10, 11 प्रतिवादीगण वादीगण के खाम घरो में आने जाने वाले रास्ते को बंद करना चाहते है। इसलिए उन्हे स्थायी निषे0 से पाबंद किया जाना आवश्यक हुआ है। इसलिए दावा अधिघोषणा एवं स्थायी निषे0 वाादीगण स्वीकार कर वादीगण के हक में डिक्री पारित की जावे।

इत्यादि पर दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण की तलबी विधिवत जारी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 7 एवं 9 द्वारा इस आशय का जवाब पेश किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 ने कभी किसी भूमि का बेचान नहीं किया है न ही उक्त भूमि का विक्रय पत्र तहरीर किया है ना ही भूमि पर वादीगण का कब्जाकाश्त है। खसरा नम्बर 625 में आज दिन तक कोई रास्ता नहीं है न ही किसी प्रकार का रास्ता रिकॉर्ड में इन्द्राज है। कन्हैयालाल पुत्र मांगीलाल ने खसरा नम्बर 640 में से साढे पांच बिस्वा भूमि का विक्रय पत्र भूमि अदला बदली की बाबत किया जो कि जगदीश, कजोड पुत्रान कोरया के हक में किया था बदले में खसरा नम्बर 625 में से साढे पांच बिस्वा भूमि कजोड, जगदीश पुत्रान कौरया ने कन्हैयालाल पुत्र मांगीलाल को दी थी जिस पर आज दिन कन्हैयालाल के वारिसान काबिज काश्त है। इसलिए वादीगण का वादपत्र खारिज किया जावे।

वादीगण के द्वारा पेश वादपत्र एवं प्रतिवादीगण के जवाब दावे के आधार पर प्रकरण में निम्न तनकीयात कायम कर विवेचित की गई–

1. आया वादी मुतदाविया भूमि में से हिस्सा 1/16 की खातेदारी की उदघोषणा कराने का अधिकारी है। वादी
2. आया मुतदाविया भूमि खसरा नम्बर 625 के हिस्सा 1/2 के उपयोग उपभोग के हिस्सा 1/2 से प्रतिवादीगण को स्थायी निषे0 से पाबंद कराने का अधिकारी है।
3. आया मुतदाविया भूमि पर इकरारनामा के आधार पर सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार होने से क्षेत्राधिकार नहीं है। प्रतिवादी
4. आया वादी का इकरारनामा फर्जी होने से वादपत्र खारिज किए जाने योग्य है। प्रतिवादी
5. आया वादपत्र में वर्णित भूमि में रिकार्डेड रास्ता नहीं होने से वादपत्र खारिज किए जाने योग्य है। प्रतिवादी
6. काउण्टर क्लेम की मद संख्या 1 अनुसार बदले में प्राप्त भूमि की खातेदारी उदघोषणा के प्रतिवादीगण अधिकारी है। प्रतिवादी

तनकीयात कायम कर पत्रावली साक्ष्य हेतु नियत कर उभयपक्षकारान को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किया गया। एवं पत्रावली में उभयपक्षकारान की बहस दावा सुनी गई। उभयपक्षकारान द्वारा पेश साक्ष्य सबूत, पेश दस्तावेजात एवं बहस के मनन से प्रकरण में तनकीवार विवेचन निम्नानुसार है।

1 आया वादी मुतदाविया भूमि में से हिस्सा 1/16 की खातेदारी की उदघोषणा कराने का अधिकारी है। वादी

तनकी संख्या 1 को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण द्वारा अपने वादपत्र एवं इस तनकी के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित नही करवाया है जिससे यह साबित होता हो कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य खसरा नम्बर 625 एवं 640 में से भूमि की अदला बदली की गई हो या किसी प्रकार का विक्रय पत्र तहरीर किया गया हो। जिसके आधार पर वादीगण को 1/16 हिस्से के खातेदार घोषित किया जा सके। वादीगण तनकी के समर्थन में एक भी दस्तावजी साक्ष्य पेश करने में असफल रहे है। इसलिए तनकी संख्या 1 वादीगण के खिलाफ निर्णित की जाती है।

2 आया मुतदाविया भूमि खसरा नम्बर 625 के हिस्सा 1/2 के उपयोग उपभोग के हिस्सा 1/2 से प्रतिवादीगण को स्थायी निषे0 से पाबंद कराने का अधिकारी है।

वादीगण

तनकी संख्या 2 को साबित करने का भार वादगण पर है। तनकी संख्या 1 वादीगण के खिलाफ निर्णित की जा चुकी है जिससे स्पष्ट है कि वादीगण को विवादित भूमि की खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है। एवं प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावे में भी वादीगण के कब्जेकाश्त से इन्कार किया है। इसलिए राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

रिकॉर्ड में खातेदारी के बिना स्थायी निषे0 अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। इसलिए तनकी संख्या 2 वादीगण के खिलाफ निर्णित की जाती है।

3 आया मुतदाविया भूमि पर इकरारनामा के आधार पर सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार होने से क्षेत्राधिकार नहीं है। प्रतिवादी

4 आया वादी का इकरारनामा फर्जी होने से वादपत्र खारिज किए जाने योग्य है। प्रतिवादी

तनकी संख्या 3 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। यह तनकी इकरारनामे के संबंध में है जिसके संबंध में माननीय सिविल न्यायालय द्वारा ही अनुतोष प्रदान किया जा सकता है। इसलिए तनकी संख्या 3 प्रतिवादीगण के पक्ष में तथा तनकी संख्या 4 प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

5 आया वादपत्र में वर्णित भूमि में रिकार्डेड रास्ता नहीं होने से वादपत्र खारिज किए जाने योग्य है। प्रतिवादी

तनकी संख्या 5 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रदर्श पी 1 जमाबंदी का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 625 में कोई रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। इसलिए तनकी संख्या 5 प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

6 काउण्टर क्लेम की मद संख्या 1 अनुसार बदले में प्राप्त भूमि की खातेदारी उदघोषणा के प्रतिवादीगण अधिकारी है। प्रतिवादी

तनकी संख्या 6 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त दोनो तनकीयात के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजा पत्रावली पर पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाया है जिससे यह साबित होता हो कि प्रतिवादीगण बदले में प्राप्त भूमि की उदधोषणा करवाने के अधिकारी है। इसलिए तनकी संख्या 6 प्रतिवादीगण के खिलाफ निर्णित की जाती है।

आदेश

अतः दावा वादीगण साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। उपरोक्तानुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

(डॉ0 नवनीत कुमार R.A.S.)
हस्ताक्षर एवं मुद्रा
उपखण्ड अधिकारी सिकराय

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय (दौसा)